मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ सचिव (स्कूल शि)/ 2012/7298 भोपाल, दिनांक 24.7.12

प्रति,

1. कलेक्टर
   समस्त जिले
2. जिला शिक्षा अधिकारी
   समस्त जिले

विषय :–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गर गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रदेश में तीन चरणों में आयोजित हुई है। अधिकांश स्कूलों में सीटें भरी जा चुकी हैं, फिर भी कुछ स्कूलों में कुछ सीटें रिक्त रहने की सूचना है।

2– अधिनियम के प्रावधान के अनुसार गैर–अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में न्यूनतम 25 प्रतिशत वंचित समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है। लेकिन गैर अनुदान प्राप्त भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

3–अतः शेष सीटों में पात्र बच्चों को निःशुल्क प्रवेश के लिए निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाये:–

(i) पड़ोस की सीमा तथा विस्तारित पड़ोस की सीमा का वंचित समूह और कमजोर वर्ग के किसी बच्चे से स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन आता है तो उसे स्कूल में सीधे प्रवेश दिया जाये।

(ii) स्कूल, पहले आओ– पहले प्रवेश पाओ के सिद्धांत पर बच्चों को प्रवेश देगें। अर्थात अब रैंडम पद्धति से चयन के लिए लाटरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से कम रही है।

(iii) कोई पालक/अभिभावक बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भी दे सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी उसे संबंधित स्कूल को अग्रेषित करेंगे तथा सीट रिक्त होने पर बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देश से जिले में प्रारंभिक शिक्षा देने वाले सभी प्रायवेट स्कूलों को भी अवगत कराया जाये।

23/7/12
(रश्मि अरूण शमी)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा

पृ. कमांक/ सचिव (स्कूल शि)/ 2012/7299 भोपाल, दिनांक 25.7.12

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी, म.प्र.।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/मा. राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्ष, म.प्र.।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण /आदिवासी विकास भोपाल,म.प्र
4. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र. ।
5. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यलय म.प्र.।
7. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23/7/12
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा